आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
13/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 आर0 पुनरीक्षण** 36/2012 तारामनी देवी बनाम पुष्कर मुण्डा **आदेश** प्रश्नगत पुनरीक्षण उपायुक्त, राँची द्वारा अपीलवाद–33-R/2002-03 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। उपायुक्त द्वारा अपीलार्थियों के अपील आवेदन को खारिज करते हुये भूमि वापसी के आवेदन को सम्पुष्ट किया गया था। अपीलार्थियों का दावा है कि ग्राम–बंता–हजाम, अंचल–सिल्ली में अवस्थित प्लॉट–3887, 4897, 4879, खाता–743, 737, 739 एवं 740, कुल रकबा–17 डिसमिल भूमि की वापसी हेतु आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः गलत है क्योंकि प्रश्नगत् भूमि आदिवासी खाते की भूमि नहीं है एवं भूमि वापसी का दावा पूर्णतः कालबाधित है। प्रश्नगत् भूमि पर अपीलार्थियों का मकान बना हुआ है। प्लॉट नम्बर–4897 मूलतः सामू कुम्हार के नाम से दर्ज है। अतः यह आदिवासी भूमि नहीं है। प्रश्नगत् भूमि पर अपीलार्थियों का मकान 1951–52 में ही निर्मित है। निम्न् न्यायालयों द्वारा गलत तथ्यों पर आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध यह पुनरीक्षण दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में दिनांक–21.05.2012 को सुनवाई के पश्चात् अंचल अधिकारी, सिल्ली से भूमि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवेदक न्यायालय से अनुपस्थित हो गये। इस वाद में आवेदक की अंतिम हाजिरी दिनांक–11.04.2016 को प्रस्तुत की गयी है। आवेदक के लगातार अनुपस्थिति को देखते हुये उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रश्नगत् वाद की निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। अंचल अधिकारी, सिल्ली द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि प्लॉट नम्बर–4897, रकबा–8 डिसमिल सर्वे खतियान में बकास्त मुण्डारी खुटकट्टी दर्ज है तथा किसी के नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। इसी प्रकार प्लॉट–4879, रकबा–02 डिसमिल दशरथ मुण्डा के नाम से कायमी दर्ज है। इन्हीं दोनों प्लॉट से 10 डिसमिल भूमि सादा हुकुमनामा द्वारा दिनांक–06.01.1981 को मंगला सिंह मुण्डा द्वारा तारामनी देवी के साथ रैयती बंदोबस्ती अंकित की गयी है। इसी आधार पर आवेदक प्रश्नगत् भूमि पर दावा कर रहे है। अंचलाधिकारी द्वारा खतियान की प्रतिलिपि तथा सादा बंदोबस्ती पर्चा भी प्रस्तुत किया गया है। निम्न् न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	होता है कि प्रश्नगत् भूमि अवैध तरीके से गैर आदिवासी के साथ बंदोबस्त की गयी है। प्राप्त बंदोबस्ती दिनांक–07.04.1981 की है, जिसकी कोई कानूनन वैधता नहीं है। मुण्डारी खुट्कट्टीदार द्वारा गैर आदिवासी व्यक्ति के साथ भूमि का हस्तांतरण/बंदोबस्ती का कोई आधार नहीं है। वर्णित परिस्थिति में प्रश्नगत् भूमि में आवेदकों का कोई दावा सिद्ध नहीं होता है। आवेदक विगत् पाँच वर्षों से न्यायालय से अनुपस्थित है। अतः इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त। आयुक्त।	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.08 17:06:48 +05:30
Location: 192.168.1.40